सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत

20/5/23 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित।

उभय पक्षों को सुना।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

कर कथन किया कि प्रार्थी ...

—जमावार

Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.08.17 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

प्रार्थिया के कृषि भूमि मौजा धामसरा के खसरा नंबर 86/1 व 86/2 का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही हेतु उक्त कृषि भूमि की रोड सीमा मे आने वाली कृषि भूमि का रास्ते हेतु समर्पित किया गया था। उक्त समर्पित कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से नये खसरा नंबर 86/4 व 86/5 हुए। परन्तु सहवन से उक्त खसरा नंबरों की किस्म रास्ता के स्थान पर बारानी-I दर्ज कर दिया गया है। जिसे संशोधन कर उक्त खसरा नंबरो 86/4 एवं 86/5 की किस्म गै०मु० रास्ता दर्ज करवाने का कथन किया है।

तहसीलदार आबूरोड ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.4.2023 द्वारा उक्त खसरा नंबरो 86/4, 86/5 की किस्म संशोधन कर रास्ता अंकन किया जाना उचित होने का लेख किया है।

हमने बहस पर [illegible] सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया।

— लगातार

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

Signature Not V
Digitally signed by G
Bhichher
Date: 2023.08.17 1
Reason: SelfAtteste

मैंने पत्रावली के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व
तहसीलदार आबूरोड से प्राप्त पत्र दिनांक
19/4/2023 मय दस्तावेजों का अवलोकन
किया। उभय पक्ष की बहस सुनी तथा
राज० भू-राजस्व अधि० 1956 की धारा 136
के प्रावधानों के तहत यह स्पष्ट है कि
खसरा संख्या 86/1 व 86/2 का
संपरिवर्तन उसके तत्कालीन खातेदारों द्वारा
करवाया गया जिसमे Indian Road congress
के मापदंड अनुसार रास्ते की भूमि को
समर्पित तत्कालीन खातेदारों द्वारा रास्ते
हेतु किया गया जिसके खसरा संख्या 86/1
मे से रास्ते हेतु समर्पित भूमि का
नया खसरा नंबर 86/4 रकबा 0.05 बिघा
राजस्व रेकर्ड मे अंकित किया गया तथा
समर्पण आदेश तत्कालीन तहसीलदार द्वारा
दिनांक 10-01-2017 को जारी किया गया
जिसमे स्पष्ट लिखा गया कि संबंधित पटवारी
हल्का उपरोक्त समर्पित भूमि को रास्ते हेतु
रेकर्ड मे अंकन करें परन्तु उक्त खसरा
संख्या 86/4 सहवन से रास्ते हेतु अंकित
नही किया गया वरन कार[illegible]
किया गया जो राजस्थान भू-राजस्व [illegible]
धारा 136 के तहत लिपिकीय गलती से होना
पाया जाता है। -लगातार

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

Signature Not V
Digitally signed by G
Bhichher
Date: 2023.08.17 17
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार खसरा संख्या 86/2 में से 86/5 रकबा 6 बिस्वा रास्ते हेतु संबंधित खातेदार ने समर्पित किया जिसे तहसीलदार आबूरोड द्वारा जारी आदेश दिनांक 10-01-2017 से संबंधित पटवारी हल्का । कर जारी किया गया। परन्तु उक्त खसरा संख्या 86/5 रकबा 6 बिस्वा का सहवन से रास्ते हेतु अंकित नहीं किया गया वरन बारानी-I ही अंकित किया गया जो राज० भू-राजस्व अधि० 1956 की धारा 136 के तहत लिपिकीय गलती से होना पाया जाता है।

चूंकि उपरोक्त खसरा नंबर 86/4 व 86/5 वर्तमान में राजस्थान सरकार के नाम अंकित है। अतः हितबद्ध पक्षकार राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड ने अपने जवाब में उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को सही करने की अभिशंषा की है।

अतः भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेशित किया जाता — लगातार

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

Signature N
Digitally signed
Bhichher
Date: 2023.08.
Reason: SelfA

जाता है कि खसरा संख्या 86/4
रकबा 05 बिस्वा तथा खसरा संख्या
86/5 रकबा 0.6 बिस्वा जो राजस्व रेकर्ड
मे काश्तकारी दर्ज है को राजस्व रेकर्ड
मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे।
तहसीलदार आबूरोड उक्त का राजस्व
रिकार्ड मे इन्द्राज दरूस्त करे।
[illegible] सुनाकर हाकिम
फैसला [illegible]
नोटर ले कर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.08.17 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)